प्रकरण संख्या 09/2019 RCMS ID-2019/00149 तारीख रजु 14.06.2019

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार — अपीलाण्ट

बनाम

जगवीर सिंह पुत्र श्री नवल सिह जाति गुर्जर निवासी मोहन नगर हिण्डौन सिटी जिला करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक 04.03.2020

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली द्वारा दिनांक 29.12.2014 को यह आदेश पारित किया गया है कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र संबंधित थाने में दिनांक 03.01.2015 से पूर्व जमा कराये जाने है किन्तु जगवीर सिंह पुत्र श्री नवल सिह जाति गुर्जर निवासी मोहन नगर हिण्डौन सिटी जिला करौली द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना शस्त्र थाने में जमा नहीं कराने पर जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट के आधार पर न्याय अनुभाग के आदेश क्रमांक न्याय/15/1650 दिनांक 13.03.2015 से 20 अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया था। इस निर्णय के खिलाफ श्री गुर्जर द्वारा अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में अपील दायर की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुना जाकर अपने निर्णय दिनांक 30.01.2019 को पत्रावली रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावें।

पत्रावली दर्ज पंजिका कर श्री गुर्जर को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

श्री गुर्जर ने बह में कथन किया है कि वह भूतपूर्व सैनिक है। उसकी तबियत खराब रहती है। तत्कालीन समय में बीमार हो जाने के कारण अपना शस्त्र संबंधित थाने में जमा नहीं करवा पाया। स्वस्थ होने पर उसने दिनांक 25.05.2015 को संबंधित थाने में शस्त्र जमा करवा दिया था। समय पर शस्त्र को जमा नहीं करवा पाने के कारण श्री गुर्जर ने क्षमा याचना की है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल फरमाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि रेस्पोण्डेण्ट द्वारा समय सीमा पर हथियार थाने में जमा नहीं कराने पर अन्य अनुज्ञापत्रों के साथ इसको भी नियमानुसार निलंबित किया गया है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त फरमाने का कथन किया है।

पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा पत्रांक–2631 दिनांक 26.10.15 द्वारा श्री गुर्जर के शस्त्र लाइसेन्स को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है।

हमने उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया। आदेश दिनांक 29.12.2014 द्वारा पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में शस्त्र जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। श्री गुर्जर स्वयं उपस्थित हुआ जो तत्कालीन समय में बीमार

होने के कारण अपना शस्त्र समय पर संबंधित थाने में जमा नहीं करवा पाया। स्वस्थ होने पर श्री गुर्जर द्वारा शस्त्र को संबंधित थाने में जमा करवा दिया गया है। अतः हम श्री गुर्जर का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जाना उचित समझते हैं।

अतः इस कार्यालय का आलोच्य आदेश क्रमांक–न्याय / 15 / 1650 दिनांक 13.03.2015 क्रम संख्या 10 पर अंकित श्री जगवीर सिंह पुत्र श्री नवल सिह जाति गुर्जर निवासी मोहन नगर हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज.) के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है एवं श्री गुर्जर का शस्त्र प्राधिकार पत्र संख्या 115460 एवं 0610351 बहाल किये जाते है। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग उक्त अनुज्ञापत्र को नियमानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 14:04:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: